



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)

उत्तराखण्ड शासन
पत्रांक 1583 / 13सी

{ fax No. 05964-238724 } e-mail:- eepwdaskote@gmail.com

दिनांक 17-12-2016

सेवा में,

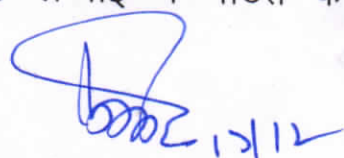
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- नारायण आश्रम से रूंग सिखा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 14200/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1849/12-1 दिनांक 7-12-2016

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का नाम परिवर्तन का शासनादेश संख्या 2520/111(2) 10-64(प्रा०आ०)/2016 दिनांक 10.10.2016 द्वारा मोटर मार्ग का नाम जनपद पिथौरागढ़ में रूंग-सिखा मोटर मार्ग है (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न) प्रस्ताव पुनरीक्षित कर रूंग सिखा मोटर मार्ग के अनुसार 3.00 किमी० लम्बाई में गठित कर ऑनलाईन किया जा चुका है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1635/12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 26.10.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :- नारायण आश्रम से रूंग - सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 14200/2015)।

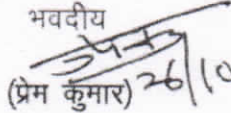
संदर्भ :- नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्ति दिनांक 26.10.2015।

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित नोडल अधिकारी को भेजे जाने पर उनके द्वारा इस प्रस्ताव में निम्न आपत्तियां सूचित की गयी है-

The title is misleading as the proposal is for a road from Sosa-Sirkha motor road to Rung and does not connect Narayan Ashram. Kindly upload amended proposal accordingly.

उक्त आपत्तियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय

(प्रेम कुमार) 26/10
वन संरक्षक,

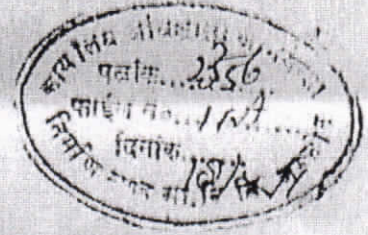
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हुरीकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मुख्यालय), लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 15/24(3)याता0क/2016 दिनांक 14.03.2016, पत्रांक 106/24(3)याता0क/2016 दिनांक 05.03.2016 एवं मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1057/04याता-पि0थे0/2016 दिनांक 21.09.2016 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपशान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम- II में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा कॉलम- III में अर्जित मोटर मार्गों का नाम परिवर्तित कर तालिका के कॉलम- IV के अनुसार किये जाने की मांगनीय श्री राजपाल राहर्ग स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या/दिनांक	पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग का नाम	मोटर मार्ग का परिवर्तित नाम
I	II	III	IV
1	शासनादेश संख्या-1754/ III(2)/05-04(प्रोआओ)/ 2005 दिनांक 10.11.2005	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नाशयण आश्रम-रुंग-शिखा मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई- 7.00 किमी0 स्वीकृत लागत-₹100.80 लाख	जनपद पिथौरागढ़ में रुंग-शिखा मोटर मार्ग का निर्माण।
2	शासनादेश संख्या-1440/ III(2)/11-06(प्रोआओ)/ 2010 दिनांक 28.03.2011	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड गुनरगारी में, थल गुनरगारी मोटर मार्ग के किमी0 194 से रुइसपट्टा तक मोटर मार्ग एवं एक सेतु का निर्माण लम्बाई- 3.00 किमी0+01 सेतु स्वीकृत लागत- ₹37.80 लाख	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड गुनरगारी में थल गुनरगारी मोटर मार्ग के फुली नामक स्थान से रुइसपट्टा तक मोटर मार्ग एवं एक सेतु का निर्माण
	शासनादेश संख्या-2724/ III(2)/15-05(मु0ग0ध0)/ 2015 दिनांक 24.04.2015	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकासखण्ड गुनरगारी में समनगौव तक सड़क का निर्माण कार्य। लम्बाई- 2.00 किमी0+01 सेतु स्वीकृत लागत- ₹18.18 लाख	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकासखण्ड गुनरगारी में सैमली तक सड़क का निर्माण कार्य।

AE (प्रो/प्रो)

18/10/16

पंजीकृत/मह
21/10/16

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के संलग्नकों के निधत कमाकों पर अंकित उक्त मोटर मार्गों का मात्र उक्तानुसार नाम परिवर्तित किया गया है, इन मार्गों की लम्बाई तथा लागत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 10.11.2005, 20.03.2011 एवं 24.04.2015 में उल्लिखित शेष शर्तें सम्पादित रहेंगी।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों को उक्त शीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यूँकी)
प्रभारी राशिय

संख्या 2520(1)/111(2)/16-64(प्र0आ0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवरसै मोटर्स विल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/मुख्यामंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अभिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप राशिय